



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना

आदेश

दिनांक: 11-08-2009

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- श्री एल्टि सेवा ट्रस्ट
103-A, एम. के. सुप्रीमोड,
न्यू पाहाणपुरा, कलकत्ता-13

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो।

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति कब तक देय है, स्पष्ट लिखा हो।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
3. यह कर मुक्ति दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2013 तक देय है।

(इकतीस मार्च दो हजार नौ)

हो -

(ओपीओ अग्रवाल)

आयकर आयुक्त-1, पटना

सं० सं० आ०आ०-1/पटना/तक०/80G/09-10/959-62 दिनांक 11-08-2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- ✓ 1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष को । संस्था के द्वारा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन मान्यता-नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तुत किया गया था । अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता दिनांक 01-04-2009 से 31-03-2013 तक प्रदान की जाती है ।

यदि इस कर मुक्ति का नवीनीकरण आगे करवाना हो तो सम्बन्धित आयकर अधिकारी के माध्यम से कर मुक्ति की अवधि समाप्त होने के तीन माह के अंदर निर्धारित प्रपत्र में भेजे । आवेदन पत्र के साथ पिछले तीन वर्षों के आय व्यय के हिसाब की नकलें, नियम व नियमों में यदि कोई परिवर्तन किये गये हो तो उसकी सूचना आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) (सी) के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा आयकर नियम के नियम 11ए का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

2. सहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल -1, पटना..... उपरोक्त संख्या के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखा की जांच करें जो कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा0सं080/2/59/आई0टी0ए0 दिनांक 09.10.1972 एवं आदेश संख्या 63/फा0सं0367/175/47/70/ आई0टी0ए0 दिनांक 09.10.1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे । नवीनीकरण का आवेदन पत्र यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपनी टिप्पणी सहित अपने परिक्षेत्र के अपर आयकर/संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को भेज दें ।
3. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र -1, पटना..... ।
4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना ।



(भारत भूषण प्रसाद)
आयकर अधिकारी (तक0)
कृते : आयकर आयुक्त: 1, पटना ।